

**हरिद्वार विकास प्राधिकरण,**

**हरिद्वार**

**की**

**40 वीं बोर्ड बैठक**

**दिनांक**

**28-04-06**



## अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	<b>भाग-अ</b>	
1	विगत 38 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.07.2005 में लिये गये निर्णयो का कियान्वयन।	1-09
2	विगत 39 वीं बोर्ड बैठक ( परिचालन विधि से) दिनांक 26.12.2005 में लिये गये निर्णयो का कियान्वयन	10
	<b>भाग-ब</b>	
3	प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2005-06 का पुनरीक्षित-वास्तविक आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2006-07 का प्रस्तावित आय-व्ययक	11-12 सी0
4	ट्रान्सपोर्ट नगर हरिद्वार में सम्पत्ति के मूल्यांकन एवं आवंटन प्रक्रिया विषयक।	13-14
5	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-दो में गुप हाउसिंग योजना के सम्बन्ध में।	15
6	प्राधिकरण की पूर्व योजनाओं में उपलब्ध अनिस्तारिक सम्पत्तियों के निस्तारण विषयक।	16-17
7	श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा एन्ट्री आपरेटर को प्राधिकरण में रिक्त आशुलिपिक के पद पर समायोजित करते हुये रिक्त डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर श्री राकेश सिंह विष्ट जो अध्यक्ष / आयुक्त कार्यालय में संविदा पर कार्य कर रहे की नियुक्ति विषयक।	18
8	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु	18



**भाग-(अ)**

**मद संख्या-40 (1)**

विषय:- प्राधिकरण की 38 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.07.05 में लिये गये निर्णयो का कियान्वयन।

क्रमांक	विषय	निर्णय	अनुपालन
34-01(1)	<b>अन्तर्राज्यीय बस अड्डा।</b>	हरिद्वार शहर में प्रति वर्ष होने वाले पर्वों तथा अर्द्ध / कुम्भ मेलों में पार्किंग की आवश्यकता के दृष्टिगत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऋषिकुल की भूमि पर ही अन्तर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण हो0वि0प्रा0 द्वारा कराया जाय। भूमि हस्तांतरण हेतु उपाध्यक्ष, हो0वि0प्रा0 एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाय।	निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार में ऋषिकुल की भूमि पर आई0एस0बी0टी0 के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासन को इसकार्यालय के पत्र संख्या-1386 दिनांक 16.08.05 एवं पुनः अनुस्मारक पत्र संख्या- 3508 दिनांक 29.03.06 के द्वारा शासन एवं जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

**हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 40 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.04.2006 का कार्यवृत्त**

**प्राधिकरण की 40 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.04.2006 को अध्यक्ष / आयुक्त गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गई बैठक में उपस्थिति निम्नवत है:- :-**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. श्री सुभाष कुमार, आयुक्त गढ़वाल मण्डल                              | अध्यक्ष     |
| 2. श्री दयाल सिंह नाथ, उपाध्यक्ष हो0वि0प्रा0                          | उपाध्यक्ष   |
| 3. श्री आर0के0 सुधांसु, जिलाधिकारी, हरिद्वार                          | पदेन सदस्य  |
| 4. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन        | पदेन सदस्य  |
| 5. श्री बृज बी0 रतन, प्रभारी, ग्राम्य एवं नगर नियोजन विभाग, उत्तरांचल | पदेन सदस्य  |
| 6. श्री सतपाल ब्रम्हचारी, अध्यक्ष, न0पा0 परिषद, हरिद्वार              | पदेन सदस्य  |
| 7. श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, न0पा0 परिषद, ऋषिकेश                       | पदेन सदस्य  |
| 8. श्री मनोज द्विवेदी, अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुनि की रेती              | पदेन सदस्य- |
| 9. श्री बी0वी0 पुरषोत्तम, उप जिलाधिकारी / प्रशासक नगर पंचायत रानीपुर  | पदेन सदस्य  |
| 10. श्री महन्त महेन्द्र सिंह, हरिद्वार                                | नामित सदस्य |
| 11. श्री अशोक सेठी, हरिद्वार  | नामित सदस्य |
| 12. श्री सुनील प्रभाकर, ऋषिकेश  | नामित सदस्य |
- सर्व प्रथम विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री दयाल सिंह नाथ द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष / आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

**भाग-(अ)**

**मद संख्या- 40(1)**

**प्राधिकरण की विगत 38 एवं 39 (परिचालन विधि द्वारा) वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयो का कियान्वयन।**

**34-01(1) अन्तर्राज्यीय बस अड्डा**

जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रश्नगत भूमि उत्तरांचल सरकार के नियन्त्रण में है। जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरण

Dy. Secretary

Vice Chairman

Chairman / Commissioner



34-03(4)	<b>मल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स</b>	अध्यक्ष, न0पा0 हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका की बोर्ड बैठक में इस भूमि के समीप कृषि फार्म के नाम उपलब्ध भूमि ह0वि0प्रा10 को उचित शर्तों पर इन्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में निर्णय लिया गया कि हरिद्वार में पार्किंग की समस्या के दृष्टिगत मल्ला कालेज मैदान की भूमि पर केवल बाउन्ड्रीवाल निर्माण तथा कृषि फार्म वाली भूमि पर इन्डोर स्टेडियम का निर्माण ह0वि0प्रा10 द्वारा कराया जाय।	निर्णय के अनुपालन में मल्ला कालेज मैदान की भूमि पर बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु तथा कृषि फार्म वाली भूमि पर इन्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि को नगर पालिका हरिद्वार से प्राधिकरण को हस्तांतरण करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1272 दिनांक 06.08.05, पत्र संख्या- 2789 दिनांक 04.01.06 तथा पत्र संख्या-3087 दिनांक 10.02.06 के द्वारा लिखा गया है। पालिका द्वारा अपने पत्र संख्या- 1470 दिनांक 13.02.06 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पालिका की भूमि फी-होल्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत बोर्ड की सहमति एवं शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही दी जा सकती है। इस प्रकार से भूमि का हस्तांतरण प्राधिकरण को नहीं होने के कारण उक्त बाउन्ड्रीवाल एवं इन्डोर स्टेडियम के निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके।
----------	--	---	---

निर्णय लिया गया कि शहर में प्रति वर्ष होने वाले पर्वों तथा अर्द्ध / कुम्भ मेलों में पार्किंग की आवश्यकता के दृष्टिगत ऋषिकूल की उक्त भूमि पर ही अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाय। यदि अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण सम्भव ना हो तो इस भूमि को पार्किंग हेतु आरक्षित रखा जाय। हरिद्वार विकास प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासन को अनुस्माकर प्रेषित किया जाय तथा उसकी प्रति आयुक्त /अध्यक्ष को भी प्रेषित की जाय।

#### 34-3(4)- मल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स।

निर्णय लिया गया कि मल्ला कालेज के मैदान की भूमि पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण नगरपालिका परिषद हरिद्वार द्वारा कराया जाय तथा उस पर होने वाले व्यय हरिद्वार विकास प्राधिकरण व नगर पालिका, हरिद्वार आधा-आधा वहन करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित इन्डोर स्टेडियम का निर्माण जिसका आगणन निर्माण निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है नगरपालिका परिषद हरिद्वार द्वारा कराया जाय तथा इस पर होने वाले व्यय को नगर विकास विभाग, उत्तरांचल शासन से धन प्राप्त कर किया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

#### 37-06 प्राधिकरण की अनाधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के संबन्ध में

निर्णय लिया गया कि नियमित 15 कालोनियों में अवशेष आवश्यक विकास कार्यों का हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे कराकर आगणन आदि तैयार किये जाय तथा इन विकास कार्यों को पूर्ण करने हेतु कालोनियों के अवैध निर्माणकर्ताओं से आवश्यक धनराशि की वसूली हेतु ह0वि0प्रा10 द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाय।

इसके अतिरिक्त द्वितीय फेज में अवशेष अवैध कालोनियां (कौरा देवी कालोनी-खड्खडी को सम्मिलित करते हुये) जिनका भू-उपयोग आवासीय से भिन्न है, के सम्बन्ध में पूर्व में गठित समिति द्वारा आवश्यक परीक्षण कर भू-उपयोग परिवर्तन होने के पश्चात् आख्या आयुक्त महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित की जाय।

#### 38-02 हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2004-05 का पुनरीक्षित (वास्तविक) तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 का प्रस्तावित आय-व्ययक।

प्रस्तुत आय व्ययक का अवलोकन किया गया। मद एजेण्डा से समाप्त किया जाय।

Dy. Secretary

Vice Chairman

Chairman / Commissioner



37-06

प्राधिकरण  
अनाधिकृत  
कालोनियों  
नियमितकरण  
संबंध में

गठित समिति के सदस्यों ने अवगत कराया कि प्रथम फेज में आवासीय भू-उपयोग वाली प्रस्तावित 12 कालोनियों के अतिरिक्त इसी श्रेणी की 5 अन्य कालोनियां सम्मिलित किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति की गयी है। इसपर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण पर उपाध्यक्ष-हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार जिलाधिकारी-हरिद्वार, अध्यक्ष, न0पा0 हरिद्वार एवं परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, हरिद्वार द्वारा पुनः परीक्षण कर अनुमोदन हेतु आख्या अध्यक्ष/ आयुक्त के समक्ष 15 दिन में प्रस्तुत की जाय।

निर्णय के अनुपालन में प्रथम फेज में आवासीय भू-उपयोग वाली 12 कालोनियों के अतिरिक्त इसी श्रेणी की 05 अन्य कालोनियों को सम्मिलित करते हुये कुल 17 कालोनियों के नियमितकरण का प्रस्ताव गठित समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त अध्यक्ष / आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें से निम्नलिखित 15 कालोनियों का नियमितकरण किया जा चुका है:-

1. मंगल विहार-ज्वालापुर
2. मैरिज टाउनशिप-ज्वालापुर
3. पाण्डेय वाला-ज्वालापुर
4. सुभाष नगर-ज्वालापुर
5. योगी विहार के पास-ज्वालापुर
6. लाल मन्दिर कालोनी-ज्वालापुर
7. शान्तिपुरम्-जगजीतपुर
8. हिमालय सहकारी आवास समिति-हरिपुरकलॉ।
9. नन्दाटेल के सामने-हरिपुर कलॉ
10. हनुमान गढ़ी-कनखल
11. गायत्री विहार-भोपतवाला
12. भारतमातापुरम् के पीछे कालोनी
13. गुरुबक्श विहार के पूरब में गुरुबक्श इस्ट कालोनी-जगजीतपुर।
14. मीना एन्क्लेव के साथ सप्राईज होहल के पीछे-ज्वालापुर।
15. इन्द्र एन्क्लेव-2 से लगी कालोनी-भोपतवाला।



38-02

**हरिद्वार विकास प्राधिकरण** का वित्तीय वर्ष 2004-05 का पुनरीक्षित (वास्तविक) वित्तीय वर्ष 2005-06 का प्रस्तावित आय-व्ययक।

प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2004-05 के पुनरीक्षित (वास्तविक) आय व्ययक का अवलोकन किया गया। वित्तीय वर्ष 2005-06 के प्रस्तुत आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय लेखाकार, ह0वि0प्रा0 द्वारा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति प्रस्तुत की गयी जिसमें अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्राधिकरण पर हडको/ किसी भी वित्तीय संस्था का कोई ऋण नहीं है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट नगर योजना एवं इन्द्रलोक आवासीय योजना की भूमि क्रय मद में लगभग रू0 17.90 करोड़ का व्यय प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों की आय से किया गया है। वर्तमान में प्राधिकरण खातों में लगभग रू0 2.45 करोड़ का अवशेष है जिसमें रू0 0.95 करोड़ मेला निधि भी सम्मिलित है। इसके उपरान्त लेखाकार द्वारा प्रस्तावित आय-व्ययक में मुख्य रूप से सम्मिलित ट्रांसपोर्ट नगर योजना, इन्द्रलोक आवासीय योजना, भेल गृह निर्माण सहकारी आवास योजना, भेल पुर्नवास योजना एवं हरिलोक फेज-2 आवासीय योजना की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गयी। प्राधिकरण की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति की अध्यक्ष महोदय द्वारा सराहना की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 का प्रस्तावित आय-व्ययक-कुल आय रू0 5161.36 लाख तथा कुल व्यय रू0 5149.85 लाख सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

निर्णय के अनुसार कायवाही का गया। मदवार प्रगति विवरण आगे मद संख्या-40(3) के साथ संलग्न बजट में उपलब्ध है।



38-03	<p><b>प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना में 10 प्रतिशत सम्पत्ति निस्तारण हेतु विभिन्न श्रेणी के मूखण्डों के विक्रय हेतु प्राप्त मुहरबन्द निविदाओं / आवेदनों के आवंटन एवं शेष 90 प्रतिशत सम्पत्ति / मूखण्डों के विक्रय हेतु मूल्य / दर निर्धारण हेतु।</b></p>	<p>निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष-ह0वि0प्रा0, जिलाधिकारी-हरिद्वार एवं मुख्य वित्त अधिकारी-ह0वि0प्रा0 द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त दरों का परीक्षण कर निर्णय हेतु आख्या 10 दिन के अन्दर अध्यक्ष / आयुक्त को प्रस्तुत की जाय।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में गठित समिति द्वारा परीक्षण आख्या अध्यक्ष / आयुक्त महोदय को प्रेषित की गयी थी। अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त प्राप्त निविदायें निरस्त कर दी गयी। समस्त सम्बन्धित की घरोहर राशि वापस की जा चुकी है।</p> <p><b>उ0प्र0 शासन से प्राप्त गाईड लाईन शासनादेश संख्या- 4049 दिनांक 20.10.99 पर पुर्नविचार के सम्बन्ध में।</b></p> <p>प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में उपलब्ध आवासीय सम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य पर पंजीकरण खोलकर विक्रय किया जाता था। आवास विभाग उ0प्र0 शासन-लखनऊ द्वारा सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिये जारी आर्दश मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाईड लाईन) विषयक पत्र संख्या-4059 दिनांक 20.10.99 को प्राधिकरण की 29 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.12.99 में अंगीकृत किया गया था। उक्त गाईड लाईन में नई आवासीय योजना में सम्पत्ति विक्रय करने हेतु निम्न व्यवस्था है:-</p> <p>नई योजना विकसित करने पर सर्व प्रथम उपलब्ध सम्पत्तियों में से भौगोलिक रूप से बीच में स्थित 10 प्रतिशत छोटकर ओपन आक्शन से बेचने का प्रयास किया जाना चाहिए।</p> <p>उक्त के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा प्रथम बार प्रस्तावित नई इन्द्रलोक आवासीय योजना में उपलब्ध कुल सम्पत्तियों में से 10 प्रतिशत सम्पत्तियों को मुहरबन्द निविदा के आधार पर नीलामी द्वारा विक्रय करने की कार्यवाही की गयी थी जिसमें विभिन्न श्रेणीयों के मूखण्डों में प्राप्त आवेदनों में दरे अलग-2 प्राप्त हुयी थी। जिसकारण योजना का विक्रय मूल्य निर्धारण करने में कठिनाई</p>
-------	--	--	---

**38-03- प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना में 10 प्रतिशत सम्पत्ति के निस्तारण हेतु विभिन्न श्रेणी के मूखण्डों के विक्रय हेतु प्राप्त मुहर बन्द निविदाओं / आवेदनों आवंटन एवं शेष 90 प्रतिशत सम्पत्ति / मूखण्डों के विक्रय हेतु मूल्य / दर निर्धारण हेतु।**

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी सर्व सम्पत्ति से निर्णय लिया गया कि आवासीय सम्पत्तियों को अन्य प्राधिकरणों की भौति पंजीकरण खोलकर आरक्षण के अनुसार विक्रय / आवंटन किया जाय तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों का विक्रय मुहरबन्द नीलामी के द्वारा ही किया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

**38-04- इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में माह जून-05 में की गयी निविदाओं पर चर्चा के सम्बन्ध में।**

विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि दोनो योजनाओं में प्राथमिकता पर नियमानुसार विकास कार्य पूर्ण कर योजनायें विकसित की जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

**38-06 प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को उत्तरांचल शासन के समस्त विभागों में लागू समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने विषयक :-**

निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष / आयुक्त महोदय के माध्यम से शासन को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाय।

**38-09 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु:-**

(1) बहादुराबाद क्षेत्र में पेट्रोल पम्प की स्वीकृति

प्रमारी ग्राम्य एवं नगर नियोजक द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी तदनुसार उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 द्वारा शमन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

(5) बाईपास सड़क से भारत माता मन्दिर तक सड़क सुधार कार्य हेतु ह0वि0प्रा0 को मेला नधि से प्राप्त धनराशि रूपये- 20.77 लाख विषयक।

अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्य पर लगभग रूपये- 66.00 लाख का व्यय आयेगा। विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि आगणन की धनराशि का 50 प्रतिशत यानि रू0 33.00 लाख नगरपालिका परिषद हरिद्वार वहन करेगी तथा अवशेष धनराशि की प्रतिपति इस योजना पर अर्द्ध कुम्भ मेला-2004

Dy. Secretary

Vice Chairman

Chairman / Commissioner



है। यहां यह भी अवगत कराना आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण में आवासीय सम्पत्तियों को नीलामी के माध्यम से विक्रय नहीं किया जा रहा है। समीप के विकास प्राधिकरण— सहारनपुर, मुरादाबाद एवं गाजियाबाद से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि आवासीय सम्पत्तियों को इन प्राधिकरणों द्वारा पूर्व की भाँति (बिना नीलामी के) पंजीकरण खोलकर विक्रय किया जा रहा है।

इस प्रकार इस बिन्दु पर गहन परीक्षण करने के उपरान्त जनहित में प्रस्ताव है कि प्रश्नगत विषय पर 29वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.12.99 में पारित निर्णय पर पुनर्विचार करते हुये आवासीय सम्पत्तियों को अन्य प्राधिकरणों की भाँति पंजीकरण खोलकर आरक्षण के अनुसार विक्रय / आवंटन किया जाना उचित होगा। व्यवसायिक सम्पत्तियों को नीलामी के माध्यम से ही विक्रय / आवंटन किया जायेगा। अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



38-04	<b>इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना में माह जून 05 में की गयी निविदाओं पर चर्चा।</b>	निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष-ह0वि0प्रा10, जिलाधिकारी-हरिद्वार एवं मुख्य वित्त अधिकारी-ह0वि0प्रा10 द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकरण का परीक्षण कर निर्णय हेतु आख्या 10 दिन के अन्दर अध्यक्ष/ आयुक्त को प्रस्तुत की जाय।	निर्णय के अनुपालन में परीक्षण आख्या अध्यक्ष / आयुक्त महोदय को प्रेषित की गयी थी। उनके द्वारा समस्त प्राप्त निविदायें निरस्त कर दी गयी हैं तथा नियमानुसार पुनः निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
38-06	<b>प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को उत्तरांचल शासन के समस्त विभागों में लागू समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने विषयक।</b>	इस विषय पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तथा निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1014 दिनांक 12.3.2001 को बोर्ड द्वारा अंगीकृत कर लिया जाय। तदनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जाय। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।	निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव शासन को इसकार्यालय के पत्र संख्या-2181 दिनांक 25.10.05 को प्रेषित किया जा चुका है। चूंकि प्राधिकरण द्वारा अपने समस्त व्ययों को स्वयं ही वहन किया जाता है, वर्तमान में प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है तथा उत्तरांचल राज्य के अन्य समस्त विभागों एवं नगर पालिकाओं तथा उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में उक्त समयमान-वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को दिया जा चुका है। अतः शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में इस प्राधिकरण के कर्मचारियों को उक्त समयमान-वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



38-09	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु-		
(1)	बहादुराबाद क्षेत्र में पेट्रोल पम्प की स्वीकृति	अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध जारी नोटिस संख्या-नो0/ बहा0/ 21/ 2005-06 दिनांक 15.4.05 के सन्दर्भ में आवेदक श्री विकास गर्ग द्वारा दिनांक 7.6.05 को उक्त पेट्रोल पम्प को शमन करवाने हेतु भू-परिवर्तन शुल्क सहित धनराशि जमा कराने हेतु सहमति दी गयी तथा सूचित धनराशि कुल रू0 9.72 लाख प्राधिकरण में दिनांक 12.7.05 को जमा कराया जा चुका है। तकनीकी जांच हेतु प्रकरण नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून को भेजा चुका है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय।	निर्णय के अनुपालन में शासन को कार्यालय के पत्र संख्या-1459 दिनांक 22.08.05 को तथा ग्राम्य एवं नगर नियोजन विभाग, देहरादून को पत्र संख्या-1458 दिनांक 22.08.05 के द्वारा प्रकरण संदर्भित किया गया था जिसके क्रम में शासन द्वारा सूचित किया गया है कि शमन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का क्या औचित्य है। ग्राम्य एवं नगर नियोजन विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि शमन की स्वीकृति की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से की जानी है। तदनुसार प्राधिकरण स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



(5)	<p><b>बाईपास सड़क से भारतमाता मंदिर तक सड़क सुधार कार्य हेतु ८०६०११० को मेला निधि से प्राप्त धनराशि रू० २०.७७ लाख</b></p>	<p>अर्द्धकुम्भ मेले के दौरान शासन की स्वीकृति पत्र संख्या-177 दिनांक 27.1.04 के क्रम में उपरोक्त कार्य ८०६०११० द्वारा स्थल पर प्रारम्भ कराया गया था परन्तु इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा विरोध करने पर कार्य बन्द कर दिया गया था। फलस्वरूप ठेकेदार का अन्तिम बिल इसी स्थिति में भुगतान कर दिया गया था जिसकी लागत मात्र रू० 38,417.00 आयी थी। इस प्रकार रू० 20,38,583.00 प्राधिकरण खाते में उपलब्ध हैं। इस विषय पर अध्यक्ष, न०पा० हरिद्वार के अनुरोध पर चर्चा की गयी जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि नगर पालिका इस कार्य को पूर्ण करा देगी। इस पर अपर सचिव वित्त की सहमति के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नगर पालिका से आगणन प्राप्त होने पर उक्त धनराशि नगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया जाय।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, हरिद्वार से आगणन प्राप्त हो चुका है। धनराशि नगर पालिका परिषद हरिद्वार को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 2739 दिनांक 30.12.05 के द्वारा मेलाधिकारी अर्द्ध कुम्भ मेला-2004, हरिद्वार को मूल आगणन सहित प्रेषित किया जा चुका है। उक्त हेतु पुनः अनुस्मारक पत्र संख्या- 3514 दिनांक 29.03.06 मेलाधिकारी को प्रेषित किया गया है।</p>
-----	---	--	---



मद संख्या- 40 (2)

विषय:-प्राधिकरण की 39 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26.12.05 में परिचालन विधि के माध्यम से प्राधिकरण भवन उपविधि में संशोधन को अंगीकृत किये जाने के निर्णय का क्रियान्वयन।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 आदर्श प्रारूप में नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधा में भूकम्प रोधी प्राविधानों को अंगीकृत करते हुये इस कार्यालय के पत्र संख्या-2741 दिनांक 30.12.05 के द्वारा सभी मा0 सदस्यों / अधिकारियों को सूचित करते हुये अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।

से बची धनराशि व हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना विकास निधि मद से पूर्ण किया जाय। कार्य नगरपालिका हरिद्वार द्वारा किया जाएगा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

मद संख्या-40 (2) प्राधिकरण की 39 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26-12-05 में परिचालन विधि के माध्यम से प्राधिकरण भवन उपविधि में संशोधन को अंगीकृत किये जाने के निर्णय का क्रियान्वयन।  
प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।

भाग -(ब)

मद संख्या-40 (3) प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2005-06 का पुनरीक्षित (वास्तविक) आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2006-07 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के लेखाकार श्री एस0पी0राणा द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया तथा प्राधिकरण की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति एवं प्रस्तावित समस्त योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। प्राधिकरण की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति की अध्यक्ष / आयुक्त महोदय द्वारा सराहना की गयी तथा सर्व सम्मति से वित्तीय वर्ष 2005-06 के वास्तविक आय-व्ययक का अवलोकन कर वित्तीय वर्ष 2006-07 के कुल रूपये- 7580.65 लाख की आय एवं कुल रूपये- 7535.25 लाख के व्यय हेतु प्रस्तुत आय-व्ययक का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या-40-(04) ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार में सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं आवंटन प्रक्रिया के सम्बन्ध में  
प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई तथा उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के अन्दर स्थापित ट्रांसपोर्ट व ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाय से जुड़े मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पेन्टर आदि को शहर के अन्दर से विस्थापित करते हुए उन्हें प्रस्तावित नई योजना में स्थापित करना है।

उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2005-2006 में इस योजना का मूल्यांकन करते हुए रु0 5500.00 प्रति वर्ग मीटर का निर्धारण किया गया था लेकिन एक साल के अन्तराल के बाद विकास दरों में बढोत्तरी होने के कारण मूल्यांकन पुनः निर्धारित किया गया जिसके अनुसार मूल्यांकन- रु0 6400.00 प्रति वर्ग मीटर आंकलित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में अध्यक्ष / आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान में ट्रांसपोर्ट नगर हेतु पूर्व में निर्धारित रेट रु0 5500.00 प्रति वर्ग मीटर ही रखा जाय तथा बढी हुई आंकलित दरों के सम्बन्ध में प्रस्ताव आयुक्त महोदय के माध्यम से शासन को भेजा जाय।

Dy. Secretary

Vice Chairman

Chairman / Commissioner



**भाग-ब**

मद संख्या- 40 (3)

विषय:- प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2005-06 का पुनरीक्षित (वास्तविक) आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2006-07 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदन के सम्बन्ध में।

(1) वित्तीय वर्ष 2005-06 का पुनरीक्षित आय-व्ययक :- प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2005-06 का स्वीकृत (प्रस्तावित), एवं वास्तविक आय व्ययक एक दृष्टि में निम्नवत है:- (रुपये- लाख में)

आय पक्ष:-

क. सं.	विवरण	2005-06 हेतु प्रस्तावित	2005-06 हेतु पुनरीक्षित (वास्तविक)
1	प्रा0 अवशेष	307.86	307.86
2	राजस्व आय	596.50	444.97
3	पूँजीगत आय	4257.00	164.77
	कुल आय (प्रा0 अवशेष जोड़कर)	5161.36	917.60

व्यय पक्ष

1	राजस्व व्यय	166.35	86.65
2	पंजीगत व्यय	4983.50	549.80
	कुल व्यय	5149.85	636.45
	अन्तिम अवशेष	11.51	281.15

उपरोक्तानुसार राजस्व आय एवं राजस्व व्ययों की प्रगति संतोषजनक रही है परन्तु पूँजीगत आय एवं पूँजीगत व्यय दोनों ही मदों में लक्ष्य पूर्ण नहीं किये जा सके हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि इस वर्ष ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, इन्द्रलोक आवासीय योजना, भेल गृह निर्माण आवासीय समिति निर्माण, हरिद्वार की शिवालिक नगर योजना (फ़ेज-5) को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित था परन्तु इन योजनाओं में विकास कार्यों की निविदाये एवं आंवटन आदि की कार्यवाही विवादित हो जाने के कारण निरस्त कर दी गयी थी। जिसकारण इन मदों में प्रगति शून्य रही है। उक्त कार्य अब वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रस्तावित किये जा रहे हैं। शेष मदों में प्रगति संतोषजनक रही है। मदवार पूर्ण विवरण संलग्नक भाग-व्ययक में दर्शाया गया है।



**(2) वित्तीय वर्ष 2006-07 का प्रस्तावित आय-व्ययक :-**

इस वित्तीय वर्ष में मुख्य रूप से ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, इन्द्रलोक आवासीय योजना, भेल गृह निर्माण आवासीय समिति योजना जो कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ नहीं की जा सकी थी, के अतिरिक्त हरिलोक आवासीय योजना भाग-दो हेतु भी आवश्यक भूमि अर्जन एवं विकास कार्यों के लिये प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। हरिलोक आवासीय योजना भाग दो हेतु भूमि अर्जन माप में रूपये- 30.00 करोड़ तथा विकास मद में रूपये-0.10 करोड़ व्यय का प्राविधान सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रान्सपोर्ट नगर योजना हरिद्वार, इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं भेल गृह निर्माण आवासीय समिति की शिवालिक नगर योजना भाग-5 योजना में विभिन्न विकास कार्य हेतु क्रमशः रूपये- 10.00 करोड़, 10.00 करोड़ एवं 7.00 करोड़ के व्यय का प्राविधान प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त अवस्थापना विकास निधि मद से कराये जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों हेतु रूपये- 4.00 करोड़ के व्यय का प्राविधान प्रस्तावित है। इन समस्त व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु पूंजीगत आय में सम्पत्ति विक्रय मद में इन्द्रलोक आवासीय योजना, ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, भेल गृह निर्माण समिति योजना एवं अन्य पुरानी योजनाओं से क्रमशः रूपये- 10.00 करोड़, 6.00 करोड़, 7.00 करोड़ एवं रूपये- 1.39 करोड़ की आय का अनुमान प्रस्तावित है। इन नई योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय मद में इस वर्ष आंशिक धनराशि ही प्राप्त हो सकेगी तथा शेष धनराशि आगामी वर्षों में प्राप्त होगी। अतः आवश्यकतानुसार इस वित्तीय वर्ष में रूपये- 42.00 करोड़ हड़को / वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने का भी प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित आय व्ययक एक दृष्टि में निम्नवत है:-

( रूपये- लाख में)

1. प्रा10 अवशेष-	281.15
2. राजस्व आय-	653.00
3. पूंजीगत आय-	6646.50
4. कुल योग-	7580.65
5. राजस्व व्यय	215.25
6. पूंजीगत व्यय	7320.00
7. कुल व्यय-	7535.25
8. अन्तिम अवशेष-	45.40

उपरोक्तानुसार समस्त मदों का विस्तृत विवरण संलग्न आय-व्ययक में उपलब्ध है। प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। प्राधिकरण पर वर्तमान में किसी भी वित्तीय संस्था का कोई ऋण नहीं है। प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना की 15.25 हेक्टे0 भूमि अपने स्रोतों की आय से कय की गयी है। तदानुसार प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष वित्तीय वर्ष 2005-06 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2006-07 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



## हरिद्वार विकास प्राधिकरण

## बजट

(Rs. in Lacs)

क्र.	मद	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2005-2006	2006-2007
		वास्तविक	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित
	प्रारम्भिक अवशेष	1626.93	1461.05	307.86	307.86	281.15
(अ)	राजस्व आय					300.00
1	स्टाम्प ड्यूटी	0.00	98.14	250.00	134.56	10.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्ति	84.08	40.27	5.00	6.04	40.00
3	मानचित्र शुल्क	16.50	38.67	40.00	37.84	110.00
4	शमन शुल्क	97.43	68.36	125.00	99.60	7.50
5	पर्यवेक्षण शुल्क	4.69	5.42	6.00	7.19	0.00
6	अनुदान प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	विविध (टेण्डर फीस, लीज रेन्ट आदि)	3.21	3.87	5.00	1.71	110.00
8	विकास शुल्क	71.28	96.05	100.00	100.05	30.00
10	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	0.00	0.00	25.00	25.33	7.50
9	अम्बार शुल्क	5.60	6.46	7.50	6.17	10.00
10	फ्री-होल्ड शुल्क	17.83	3.36	5.00	10.41	3.00
11	हरिलोक योजना में अनुरक्षण शुल्क	0.70	1.58	3.00	2.27	15.00
12	हरितिमा शुल्क	0.00	11.30	15.00	12.33	5.00
13	आवेदन पुरितका विक्रय	0.00	0.00	10.00	1.47	
(अ)	कुल राजस्व आय	301.32	373.48	596.50	444.97	653.00
(ब)	पूजीगत आय					
1	त्रिभुज आवासीय योजना	2.80	4.86	6.00	5.90	6.00
2	शिवलोक आवासीय योजना	3.82	9.81	25.00	29.19	20.00
3	हरिलोक आवासीय योजना	17.46	19.40	40.00	62.66	70.00
4	श्यामलोक आवासीय योजना	128.31	45.56	25.00	19.94	40.00
5	आश्रय योजना	3.04	4.66	3.00	3.88	3.50
6	गायत्री लोक	68.58	62.41	0.00	0.00	0.00
7	बी०एच०ई०एल०सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8	ट्रांसपोर्टनगर योजना हरिद्वार	0.00	0.00	500.00	42.40	600.00
9	इन्द्रलोक आवासीय योजना	0.00	0.00	700.00	0.00	1000.00
10	हुडको एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00	275.00	2250.00	0.00	4200.00
11	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	1.88	1.77	3.00	0.80	2.00
12	डिपॉजिट फार्स (अर्द्ध० कु०मेला एवं विधायक निधि आदि)	412.53	54.89	5.00	0.00	5.00
(ब)	कुल पूजीगत आय	638.42	478.36	4257.00	164.77	6646.50
	कुल आय (अ+ब)	939.74	851.84	4853.50	609.74	7299.50
	कुल आय प्रारम्भिक अवशेष को जोड़कर	2566.67	2312.89	5161.36	917.60	7580.65
(अ)	राजस्व व्यय					
1-	अधिष्ठान					
(i)	कर्मचारी वेतन/भत्ते	46.74	57.00	65.00	52.19	80.00
(ii)	यात्रा भत्ता	0.37	0.50	0.75	0.68	0.75
(iii)	दैनिक वेतन	0.30	0.07	0.40	0.08	0.00
(iv)	अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान	0.00	0.00	2.00	1.96	5.00
(v)	मानदेय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
(vi)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	योग (अ)	47.41	57.57	68.15	54.91	87.25



# हरिद्वार विकास प्राधिकरण

-12-बी

## बजट

(Rs. in Lacs)

क्र.	मद	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 वास्तविक	2005-2006 प्रस्तावित	2005-2006 वास्तविक	2006-2007 प्रस्तावित
2-	कार्यालय विविध व्यय					
(i)	डाक व्यय	0.11	0.10	0.40	0.16	0.50
(ii)	स्टेशनरी	0.62	0.36	1.00	0.99	1.50
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	2.52	3.29	10.00	2.21	15.00
(iv)	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	0.85	0.78	2.00	1.80	4.00
(v)	टेलीफोन	2.66	1.63	2.50	1.20	3.00
(vi)	पुस्तकालय	0.04	0.02	0.10	0.04	0.30
(vii)	कानूनी व्यय	1.93	1.41	5.00	1.67	5.00
(viii)	अतिथि सत्कार	0.53	0.29	1.00	0.33	1.50
(ix)	छपाई	0.48	0.01	1.00	0.44	2.50
(x)	विज्ञापन (सामान्य)	0.38	0.00	1.00	0.95	1.00
(xi)	योजनाओं के प्रसारण/निविदा सम्बन्धी विज्ञापन	1.48	2.40	24.50	4.81	30.00
(xii)	सम्परीक्षा शुल्क	1.25	2.96	3.00	2.35	2.50
(xiii)	विविध	0.63	1.12	1.00	1.00	1.00
(xiv)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
(xv)	मशीनरी अनुरक्षण	0.23	0.00	0.50	0.08	0.50
(xvi)	विद्युत अनुरक्षण /आपूर्ति	0.17	0.26	5.00	0.14	7.50
(xvii)	विवेकाधीन	0.05	0.05	0.50	0.40	1.00
(xviii)	अस्थायी अग्रिम	0.36	0.15	0.50	0.71	0.50
(xix)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.08	0.29	1.00	0.32	1.00
(xx)	अम्बार शुल्क हस्तान्तरण	0.00	3.36	7.00	0.89	7.00
(xxi)	हरिलोक योजना अनुरक्षण व्यय	0.00	0.00	3.00	0.47	3.00
(xxii)	उत्तरांचल शासन आवास	0.00	0.00	0.00	1.10	1.50
(xxiii)	एफ०बी०टी व अन्य कर	0.00	0.00	0.00	0.71	6.00
	योग (ब)	14.37	18.48	70.20	22.77	96.00
3-	वाहन					
(i)	अनुरक्षण	1.53	1.49	1.50	1.47	2.00
(ii)	पैट्रोल/डीजल	7.04	4.67	7.50	6.50	10.00
	योग (स)	8.57	6.16	9.00	7.97	12.00
4-	कर्मचारी अग्रिम					
(i)	वाहन	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00
(ii)	भवन/भूखण्ड	0.00	0.00	3.50	1.00	4.00
	योग (द)	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00
5-	मास्टर प्लान	4.20	0.00	10.00	0.00	10.00
6-	विकास कार्य (अनुदान)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-	सिटी मैनेजर एसो०	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	योग (य)	4.20	0.00	15.00	0.00	15.00
	कुल योग राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+य)	74.55	82.21	166.35	86.65	215.25
	पूँजीगत व्यय					



# हरिद्वार विकास प्राधिकरण बजट

(Rs. in Lacs)

क्र.	मद	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 वास्तविक	2005-2006 प्रस्तावित	2005-2006 वास्तविक	2006-2007 प्रस्तावित
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	1.45	0.40	7.50	3.91	15.00
2	कम्प्यूटर क्रय	1.00	0.00	2.00	0.00	8.00
3	फर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	0.25	6.47	5.00	0.92	2.00
4	क्रेन्द्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (अ)	2.70	6.87	14.50	4.83	25.00
5	योजना भूमि क्रय				99.27	3000.00
(i)	नई योजना	182.14	1544.60	1500.00		
	योग (ब)	182.14	1544.60	1500.00	99.27	3000.00
6	योजना विकास/निर्माण कार्य				0.30	1.00
(i)	शिवलोक आवासीय योजना	0.00	0.06	1.00	2.40	5.00
(ii)	श्यामलोक आवासीय योजना	0.00	8.00	10.00	0.00	2.00
(iii)	हरिलोक आवासीय योजना	2.02	0.00	3.00	275.00	700.00
(iv)	ऋण वापसी	0.00	0.00	400.00	1.46	350.00
(v)	ऋणों पर देय ब्याज	0.00	0.00	100.00	0.30	2.00
(vii)	शोध/ट्रेनिंग/परामर्श शुल्क	0.48	0.29	5.00	27.70	400.00
(viii)	अव० विकास निधि से विकास कार्य	35.67	18.14	150.00	0.00	0.00
(ix)	गायत्रीलोक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(x)	आश्रय योजना/ई.डब्ल्यू.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
(xi)	डिपॉजिट कार्यों पर व्यय (अंकुशमेला एवं विधायक निधि आदि)	808.06	246.76	115.00	58.14	30.00
(xiii)	हरितिमा /वृक्षारोपण	0.00	8.15	15.00	9.98	15.00
(xiv)	ट्रांसपोर्टनगर हरिद्वार	0.00	2.60	900.00	0.23	1000.00
(xv)	बी०एच०ई०एल०में पुनर्वास योजना	0.00	85.63	170.00	68.33	70.00
(xvi)	बी०एच०ई०एल०सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	1.12	700.00	0.00	700.00
(xvii)	इन्द्रलोक आवासीय योजना	0.00	0.56	900.00	1.86	1000.00
(xviii)	हरिलोक आवासीय योजना भाग-२	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	योग (स)	846.23	371.31	3469.00	445.70	4295.00
	कुल योग पूंजीगत व्यय	1031.07	1922.78	4983.50	549.80	7320.00
	सकल योग व्यय	1105.62	2004.99	5149.85	636.45	7535.25
	अन्तिम अवशेष	1461.05	307.90	11.51	281.15	45.40



**मद संख्या- 40(4)**

**विषय: ट्रान्सपोर्टनगर हरिद्वार में सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं आवंटन प्रक्रिया अनुमोदन के सम्बन्ध में ।**

प्राधिकरण की 28 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15-9-98 के मद संख्या- 12 पर प्राप्त अनुमोदन के उपरान्त सराय रोड ज्वालापुर के पास 15.25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी हरिद्वार के माध्यम से भूमि अर्जन की कार्यवाही की गयी। योजना स्थल पर भूमि का कब्जा प्राप्त उपरान्त मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अपनायी गयी मूल्यांकन एवं आवंटन प्रक्रिया के अनुसार ही इस प्राधिकरण द्वारा भी निम्न सम्पत्तियों को ट्रान्सपोर्टस को शहर से बाहर इस योजना में विस्थापित करने हेतु भू-खण्ड दर रू०- 5500.00 प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रय करने हेतु तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 3-6-2005 को अनुमोदन किया गया। तथा अनुमोदन उपरान्त दिनांक 16-6-2005 से 15-7-2005 तक पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार के माध्यम से पंजीकरण खोलकर आवेदन प्राप्त किये गये थे। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

कं०सं०	श्रेणी	कुल मूखण्ड	प्राप्त आवेदन
1	जी०-1	13	02
2.	जी०-2	19	01
3.	डब्ल्यू०-1	04	-
4.	एस०-1	50	176
5.	टी०ओ०-1	50	99
कुल योग-		136	278

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक, नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस, पेट्रोल पम्प, धर्मकाटा, ढाबा, शोरूम एवं होटल / रेस्टोरेण्ट सम्पत्तियों आदि व्यवसायिक मूखण्डों को नीलामी के द्वारा विक्रय करने का निर्णय लिया गया था।

उपरोक्तानुसार इस योजना में प्राप्त आवेदनों के आवंटन हेतु एक समिति का गठन किया गया। गठित समिति द्वारा इस योजना में सम्पत्तियों के मूल्यांकन को इस योजना को व्यवसायिक मानते हुये आवासीय दर रूपये- 5500.00 प्रति वर्ग मी० के स्थान पर इसे दोगुना करते हुये एवं आवंटन प्रक्रिया में वर्तमान आरक्षण सुविधा लागू करने के सम्बन्ध में मुख्य बिन्दु उजागर किये गये।

यहां यह भी अवगत कराना है इस प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना हेतु खोले गये पंजीकरण में प्राप्त आवेदनों को लगभग एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा है तथा आवंटन प्रक्रिया अभी तक लम्बित है। आवेदनों को एक वर्ष



पूर्ण होने पर इस योजना के आवेदकों को जमा पंजीकरण राशि पर ब्याज भी देय होगा। चूंकि ट्रान्सपोर्ट नगर योजना एक पुर्नवास/विस्थापित योजना है तथा इस योजना का भूमि अर्जन अवस्थापना विकास सुविधाओं के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के ले-आउट में लगभग 60 प्रतिशत खुली भूमि छोड़ते हुये केवल 40 प्रतिशत भूमि ही विक्रय योग्य आंकलित की गई है। अतः इस योजना में भूखण्डों की मूल्यांकन दर रू0 5500.00 प्रतिवर्ग मी0 को दो गुना करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। चूंकि इस योजना में विकास कार्यों एवं आवंटन प्रक्रिया में लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है तथा निर्माण सामग्री की दरों में भी वृद्धि हुई है। अतः भूखण्ड दर रू0 5500.00 प्रति वर्ग मी0 पर एक वर्ष का 12 प्रतिशत की दर से (ब्याज/ निर्माण सामग्री में वृद्धि के दृष्टिगत) घनराशि जोड़ते हुये रू0 6400-00 प्रति वर्ग मी0 की दर से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार विक्रय / आवंटन करना तथा गत पृष्ठ पर उल्लिखित व्यवसायिक सम्पत्तियों को नीलामी के द्वारा विक्रय करना उचित होगा। जहाँ तक आवंटनों में आरक्षण का प्रश्न है चूंकि यह एक प्रकार से पुर्नवास योजना है। अतः इसमें आरक्षण लागू करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रस्ताव है कि गत पृष्ठ के अनुसार ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में खोले गये पंजीकरण के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की निर्धारित अर्हताओं का परीक्षण कर उपरोक्तानुसार संशोधित लागत रूपये- 6400.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से पुर्नवास योजना होने के कारण बिना आरक्षण लागू किये विक्रय / आवंटन किये जाने एवं व्यवसायिक सम्पत्तियां यथा बैंक, नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस, पेट्रोल पम्प, धर्मकॉटा ढाबा, शो-रूम एवं होटल / रेस्टोरेण्ट आदि हेतु भूखण्डों का विक्रय रूपये- 6400.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर को आरक्षित मूल्य मानते हुये मुहरबन्द निविदाओं के आधार पर नीलामी द्वारा विक्रय करने हेतु प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



**मद संख्या-40(5)**

**विषय:-इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-दो में ग्रुप हाउसिंग योजना के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण को पुर्नवास योजना के विकास कार्य के बदले प्राप्त 45 एकड़ भूमि दो भागो में अलग-2 स्थान पर प्राप्त हुयी है। इसमें 34.50 एकड़ भूमि पर इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-एक के प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड से प्राप्त है। अवशेष 10.50 एकड़ भूमि जो सिडकुल योजना के मध्य स्थित है, जिसपर वहाँ के परिस्थितियों एवं आवासीय समस्या को दृष्टिगत रखते हुये ग्रुप हाउसिंग के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव (तलपट मानचित्र) तैयार किया गया है जिसमें कुल 06 भूखण्ड बनाये गये है जिनका क्षेत्रफल 5901.18 वर्ग मीटर से 7597.50 वर्ग मीटर तक है। योजना में एक पार्क जिसका क्षेत्रफल 2118.47 वर्ग मी० प्रस्तावित है। योजना में केवल पार्क , सड़क आदि का विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, शेष अवस्थापना सुविधाओं का विकास निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा। योजना के भूखण्डो को पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से मुहरबन्द निविदाओं के माध्यम से नीलामी द्वारा विक्रय करना प्रस्तावित है। अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। तलपट मानचित्र में प्रस्तावित भूखण्डो का विवरण निम्नवत है:-

<u>क0सं0/भूखण्ड संख्या</u>	<u>भूखण्ड का क्षेत्रफल</u>
1-	6317.10 वर्ग मीटर
2-	6646.14 वर्ग मीटर
3-	6987.87 वर्ग मीटर
4-	7597.50 वर्ग मीटर
5-	5901.18 वर्ग मीटर
6-	6000.28 वर्ग मीटर



मद सं०-40(6)

**विषय: प्राधिकरण की योजनाओं में उपलब्ध अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु ।**

प्राधिकरण की 37 वी बोर्ड बैठक दिनांक 29-1-05 में मद संख्या-37(4) पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण में उपलब्ध अनिस्तारित सम्पत्तियों का मूल्यांकन ( सर्किल रेट - विकास व्यय को जोड़कर ) कर मुहरबन्द नीलामी के माध्यम से विक्रय करने हेतु दैनिक जागरण समाचार पत्र एवं सीनीय दैनिक अपने लोग समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराकर दिनांक 16-4-05 से दिनांक 29-4-05 तक पंजीकरण खोला गया था । उक्त नीलामी में कुल 29 आवासीय एवं व्यवसायिक अनिस्तारित सम्पत्तियों में से मात्र हरिलोक योजना में दो व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी०-1 एवं सी०-3/26 ही विक्रय हो पाये थे । शेष 27 सम्पत्तियों के लिये कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुए थे । तदोपरान्त पुनः अमर उजाला समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन कराकर दिनांक 30-11-05 से दिनांक 31-12-05 तक उक्त अनिस्तारित सम्पत्तियों को विक्रय करने हेतु पंजीकरण खोला गया था परन्तु इस पंजीकरण में भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ । इस अवधि में जिन आवंटियों द्वारा आवंटन की किश्तें एवं धनराशि प्राधिकरण में जमा नहीं करायी जा रही थी उनके आवंटन नियमानुसार नोटिस आदि देकर प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिये गये एवं कुछ ओर सम्पत्तियों के आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही में है । इस प्रकार अनिस्तारित सम्पत्तियों की संख्या में ओर वृद्धि हो गयी है ।

**वर्तमान में अनिस्तारित सम्पत्तियों का विवरण निम्नवत (अगले पृष्ठ पर) उपलब्ध है :-**



हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।							
1	2	3	4	5	6	7	8
रिक्त व्यवसायिक / आवासीय सम्पत्ति का विवरण :-							
हरिलोक आवासीय योजना							
क0सं0	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति की संख्या	प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर	निर्धारण वर्ष	37वीं बोर्ड बैठक 29-1-05 अनुसार निर्धारित दर जिस पर अप्रैल-05 में विक्रय हेतु पंजीकरण खोला गया	नवम्बर-05 से नये सर्किल रेट लागू होने पर पुनरीक्षित दर जिस पर पुनः दिसम्बर-05 में विक्रय हेतु पंजीकरण खोला गया	प्रस्तावित संशोधित मूल्यांकन(भवनों/दुकानों हेतु वर्तमान सर्किल रेट भूमि मूल्य + योजना के समय के निर्माण मूल्य पर हास लगाते हुए । भूखण्डों हेतु वर्तमान सर्किल रेट)
					प्रति भवन/भूखण्ड	प्रति भवन/भूखण्ड	प्रति भवन/भूखण्ड
1	अल्प आय वर्ग भवन- भूतल	1	1,60,842.00	1996	---	4,56,910.00	2,22,000.00
2	अल्प आय वर्ग भवन-प्रथम तल	2	1,46,783.00	1996	3,73,849.00	4,45,850.00	2,11,000.00



16वीं

	2	3	4	5	6	7	8
3	दुर्बल आय वर्ग भवन						
	प्रथम तल	4	55,264.00	1996	1,38,926.00	1,65,680.00	83,450.00
	द्वितीय तल	4	58,235.00	1996	1,38,926.00	1,65,680.00	81,400.00
4	निर्मित दुकानें						
	सी0-1/1	1	2,26,000.00	1999	3,00,000.00	3,00,000.00	1,29,120.00 X
	सी0-1/2	1	2,16,000.00	1999	3,00,000.00	3,00,000.00	1,29,120.00 X
	सी0-1/3	1	2,20,000.00	1999	3,00,000.00	3,00,000.00	1,29,120.00 X
5	व्यवसायिक	17	रू0-6,900.00	1999	12,000.00	रू0-12000.00प्रति	6,000.00 X
	भूखण्ड		प्रति वर्गमीटर		प्रति वर्गमी0	वर्गमीटर	प्रति वर्ग मीटर
<b>X नोट:- कमांक 4 एवं 5 की सम्पत्तियों हेतु आरक्षित मूल्य कॉलम सं0-8 के स्थान</b>							
<b>पर कॉलम सं0- 4 वाला प्रस्तावित है ।</b>							
<b>श्यामलोक योजना</b>							
1	आश्रम सी0श्रेणी						
	633.20वर्गमी0	1	रू0-1996.00	1996	4718.00	5718.00	2600.00
	भूखण्ड		प्रतिवर्ग मीटर		प्रति वर्गमी0	प्रति वर्गमी0	प्रति वर्गमी0
2	उच्च आय वर्ग	2	रू0-1996.00				
	162.00वर्गमी0		प्रतिवर्ग मीटर	1996	4718.00 प्रतिवर्ग	5718.00	2600.00
	भूखण्ड					प्रति वर्गमी0	प्रति वर्गमी0
<b>कुल अनिस्तारित सम्पत्तियों की संख्या- 34</b>							



उपरोक्तानुसार प्राधिकरण योजनाओं में उपलब्ध अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण न हो पाने का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि इनका मूल्यांकन बाजार मूल्यांकन से अधिक है तथा व्यवसायिक सम्पत्तियां योजना के अन्दर स्थित है। इन सम्पत्तियों में प्राधिकरण की लगभग एक करोड़ की धनराशि अवरुद्ध है। इसके अतिरिक्त बार-2 समाचार पत्रों में विज्ञापन देने से विज्ञापन मद में अनावश्यक व्यय हो रहा है। इन सम्पत्तियों के उचित निस्तारण हेतु शासन की गाईड लाईन्स संख्या- 4059 दिनांक 20.10.99 के अनुसार इन सम्पत्तियों को अलोकप्रिय मानते हुये इनका संशोधित मूल्यांकन गत पृष्ठ पर दर्शायी गयी सम्पत्ति के अन्तिम कालम में तैयार किया गया है जिसमें भूखण्डों के मूल्यांकन में जिला प्रशासन का वर्तमान सर्किल रेट लगाया गया है तथा भवनो के मूल्यांकन में भूमि का वर्तमान सर्किल रेट तथा योजना के समय की निर्माण लागत पर हास मूल्य घटाते हुये गणना की गयी है। उक्त मूल्यांकन को मुहरबन्द नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य प्रस्तावित किया जा रहा है। उक्त का अवलोकन कर इन सम्पत्तियों के प्रस्तावित उचित निस्तारण पर प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।



**मद संख्या-40(7)**

विषय: श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा एन्ट्री आपरेटर को प्राधिकरण में रिक्त आशुलिपिक के पद पर समायोजित करते हुये रिक्त डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद श्री राकेश सिंह विष्ट जो कि अध्यक्ष / आयुक्त कार्यालय में संविदा पर कार्य कर रहे है कि नियुक्ति के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में वर्तमान में डाटा एन्ट्री आपरेटर के एक सृजित पद पर श्री नारायण किशोर नौटियाल वेतनमान 4000-100-6000 में दिसम्बर 1996 से कार्यरत है। श्री नौटियाल द्वारा प्राधिकरण में सृजित / रिक्त आशुलिपिक के पद पर समायोजन हेतु आवेदन किया है।

श्री राकेश सिंह विष्ट जोकि वर्तमान में अध्यक्ष / आयुक्त महोदय के पत्र संख्या 286 / वै0स0 / 2002 दिनांक 14-6-2002 के द्वारा कार्यालय में संविदा पर डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर दिनांक 15-4-2002 से रखा गया था। इनके द्वारा डाटा एन्ट्री आपरेटर वेतनमान 4000-100-6000 में नियुक्ति हेतु आवेदन किया है।

शासनादेश संख्या 1803 / कार्मिक-2/ 2002 कार्मिक अनुभाग-2 222404406दनांक 8-2-2003 द्वारा श्रेणी ग तथा घ के किसी भी पद पर दैनिक वेतन / तदर्थ / संविदा / नियत वेतन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। उक्त शासनादेश में यह भी उल्लिखित है किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियों में तदर्थ नियुक्ति किया जाना आवश्यक समझा जाता है तो समुचित प्रक्रिया निर्धारित करते हुये यथा सम्भव नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्मिक विभाग की सहमति के पश्चात माननीय मंत्री परिषद के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।

श्री राकेश सिंह विष्ट की नियुक्ति पूर्णतयः नई नियुक्ति है। प्राधिकरण में रिक्त एवं सृजित आशुलिपिक के पद पर श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा एन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति (पद स्थानापन्न निर्धारित अर्हता पूर्ण होने पर) किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु श्री नौटियाल के पद स्थानापन्न के फलस्वरूप डाटा एन्ट्री आपरेटर के रिक्त हुए पद पर श्री विष्ट की नियुक्ति हेतु शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

**मद सं0-40(8)**

विषय:- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु:-

**मद संख्या-40(05) इन्दलोक आवासीय योजना भाग-2 में ग्रुप हाउसिंग योजना के सम्बन्ध में।**

उपाध्यक्ष द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत 10.50 एकड़ भूमि में ग्रुप हाउसिंग को निविदा के माध्यम से आवास हेतु प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया जिस पर विस्तृत चर्चा की गयी प्रमारी नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रुप हाउसिंग में 10 प्रतिशत आरक्षण कमजोर वर्ग / सेवा सम्बन्धित कार्यों के कर्मचारियों हेतु प्राविधान नियमानुसार रखा जाय। तदनुसार प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

**मद संख्या -40(6) प्राधिकरण की योजनाओं में उपलब्ध अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु।**

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संशोधित दरों पर आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार शील्ड कुटेशन मंगाकर किया जाय।

**मद संख्या-40(07) श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर को प्राधिकरण में रिक्त आशुलिपिक के पद पर समायोजित करते हुए रिक्त डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद पर श्री राकेश सिंह विष्ट जो कि अध्यक्ष / आयुक्त कार्यालय में संविदा पर कार्य कर रहे हैं, की नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संस्तुति सहित अध्यक्ष / आयुक्त महोदय के माध्यम शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाय।

**मद संख्या-40(08) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु**

1. प्राधिकरण की हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन क्षेत्रफल 48.462 हेक्टेयर के स्थान पर 93.955 हेक्टेयर भूमि के पुनरीक्षित प्रस्ताव के सम्बन्ध में।  
अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय।

2. हरिपुर कलॉ देहरादून के खसरा नं0-92(ख) दिल्ली नीतिपास मार्ग पर बी0पी0कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के निर्माण की स्वीकृति हेतु मानचित्र सं0-195 405-06 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।  
सदन में चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष 40वि0प्रा एवं जिलाधिकरी जॉच कर आख्या प्रस्तुत करें।

Dy. Secretary


Vice Chairman

Chairman / Commissioner



मद सं0 40(7) श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर को प्राधिकरण में रिक्त आशुलिपिक के पद पर समायोजित करते हुए रिक्त डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद पर श्री राकेश सिंह बिष्ट जो कि अध्यक्ष हविप्रा/ आयुक्त गढ़वाल मण्डल के साथ कार्यरत हैं, को नियमित किये जाने के बाबत।

प्रस्ताव अनुमोदित, सर्व सम्मति से संस्तुति सहित अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय के माध्यम से शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाय।

  
उपाध्यक्ष  
हरिद्वार विकास प्राधिकरण/ आयुक्त  
हरिद्वार

**3 अध्यक्ष जिला पंचायत हरिद्वार कार्यालय द्वारा जिला पंचायत हरिद्वार प्रांगण में खाली मूखण्ड पर प्रस्तावित पर्यटन गृह, शॉपिंग काम्पलेक्स, होटल काम्पलेक्स के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।**

निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

**4. अर्द्धकुम्भ मेला प्रकाश व्यवस्थाओं हेतु लगायी गई सोडियम लाईटों व हाईमास्ट लाइटों के सम्बन्ध में।**

अध्यक्ष नगरपालिका परिषद हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अधिकांश लाईटें खराब हैं तथा जिस पर अनुमानित रू0 40.00 लाख व्यय होने की सम्भावना है । विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त व्यय में से 50 प्रतिशत रू0 20.00 लाख नगरपालिका हरिद्वार द्वारा वहन किया जायेगा तथा अवशेष 50 प्रतिशत रू0 20.00 लाख हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना विकास निधि से नगरपालिका को उपलब्ध कराया जाय । प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।

**5. मल्ला कालेज स्टेडियम निर्माण हेतु तत्कालीन विधायक श्री अम्बरीष कुमार की विधायक निधि की धनराशि रू0 13.75 लाख के सम्बन्ध में ।**

जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन विधायक की विधायक निधि रू0 13.75 लाख प्राधिकरण में विगत लगभग 5 वर्षों से पड़ी हुई है जिस पर पूर्व विधायक द्वारा उक्त धनराशि को टाउन हाल में वातानुकूलित कराने पर होने वाले व्यय हेतु नगरपालिका परिषद हरिद्वार को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि विधायक निधि की अवशेष धनराशि नगरपालिका परिषद हरिद्वार को उपलब्ध करा दी जाय । प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाय ।

अन्त में उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 द्वारा अध्यक्ष महोदय का विशेष आभार व्यक्त किया गया तथा बैठक में उपस्थित अन्य समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी ।

Dy. Secretary

Vice Chairman

Chairman / Commissioner